

भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 807

07 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

जड़ी-बूटी वाली औषधियों को बढ़ावा देना

807. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार द्वारा समाचार-पत्रों, मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में जड़ी-बूटी वाली औषधियों को बढ़ावा देने/प्रचारित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) विगत दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सरकार द्वारा जड़ी-बूटी वाले औषधीय पौधों को बढ़ावा देने के लिए चिह्नित किए गए विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी निधि का आवंटन किया गया; और
- (घ) सरकार द्वारा देश में जड़ी-बूटी वाली औषधियों को बढ़ावा देने के लिए और क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

उत्तर
आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क), (ख) और (घ): आयुष मंत्रालय ने आयुष चिकित्सा पद्धतियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आयुष में सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय क्षेत्रीय योजना कार्यान्वित की है। इसका उद्देश्य देश भर में आबादी के सभी वर्गों तक पहुंचना है। यह योजना राष्ट्रीय/राज्य आरोग्य मेलों, योग त्यौहारों/उत्सवों, आयुर्वेद पर्वों आदि के आयोजन के लिए सहायता प्रदान करती है। मंत्रालय आयुष पद्धतियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मल्टी-मीडिया, प्रिंट मीडिया अभियान भी चलाता है।

केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) आयुष मंत्रालय का एक शीर्ष निकाय है जो आयुर्वेद में वैज्ञानिक आधार पर अनुसंधान का निरूपण तथा संचालन करता है। इसके साथ ही यह परिषद अपनी सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों और आम लोगों के लिए अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से, जो राष्ट्रीय/राज्य स्तर के आरोग्य मेलों, स्वास्थ्य शिविरों, प्रदर्शनियों, एक्सपो, साथ ही अपने मजबूत 30 परिधीय संस्थानों के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों में सीसीआरएएस आउटरीच कार्यक्रम जैसे अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) अनुसंधान कार्यक्रम, जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल अनुसंधान कार्यक्रम (टीएचसीआरपी) आदि के माध्यम से भी आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता गतिविधियों में भी संलग्न है। परिषद की वेबसाइट भी आईईसी सामग्रियों से युक्त होती है और अन्य महत्वपूर्ण वेबसाइटों के साथ हाइपरलिंक होती है जो व्यापक उपयोगिता के लिए

जानकारी प्रदान करती है। परिषद के पास जर्नल ऑफ ड्रग रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज (जेडीआरएस), जर्नल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज (जेआरएस) और जर्नल ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज (जेआईएमएच) नामक तीन पत्रिकाएं हैं, जो जनता के बीच अनुसंधान के परिणामों के प्रसार को सक्षम बनाने के लिए सार्वजनिक कार्यक्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक रूप से निःशुल्क उपलब्ध हैं। अब तक, परिषद ने लगभग 409 पुस्तकें, मोनोग्राफ और तकनीकी रिपोर्टें प्रकाशित की हैं और बड़े पैमाने पर आयुर्वेद के अनुसंधान परिणामों और लाभों का प्रसार करने के लिए उन्हें बेचा या वितरित किया जा रहा है।

केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम) ने देश में यूनानी चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न तरीकों से कई पहल की हैं, जैसे कि सामान्य ओपीडी, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य देखभाल ओपीडी, जराचिकित्सा ओपीडी, गैर-संचारी रोग क्लिनिक आदि के माध्यम से उपचार प्रदान करना। जिन्हें पूरे देश में परिषद के 21 नैदानिक संस्थानों/इकाइयों द्वारा संचालित किए जाते हैं। यह परिषद आरोग्य स्वास्थ्य मेलों, स्वास्थ्य शिविरों और प्रदर्शनियों आदि के माध्यम से यूनानी चिकित्सा पद्धति को भी बढ़ावा दे रही है। स्कूली स्वास्थ्य कार्यक्रमों और नैदानिक मोबाइल अनुसंधान कार्यक्रमों के साथ-साथ, आउटरीच कार्यक्रम जैसे अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) और आदिवासी उप योजना (टीएसपी) परिषद द्वारा अनुसंधान कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

भारत सरकार ने अपने अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएम एंड एच) की स्थापना की है। आयुष मंत्रालय की ओर से पीसीआईएमएंडएच आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एसयूएंडएच) औषधियों/दवाओं के लिए फॉर्मूलरी विनिर्देश और भेषजसंहिता मानक निर्धारित करता है, जो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और इसके तहत बनाए गए नियम 1945 के अनुसार, यहां शामिल एसयूएंडएच औषधियों की गुणवत्ता नियंत्रण (पहचान, शुद्धता और शक्ति) के लिए सरकारी संकलन के रूप में कार्य करता है और भारत में निर्मित, बिक्री तथा भंडारण की जा रही एसयूएंडएच औषधियों के उत्पादन के लिए इन गुणवत्ता मानकों का अनुपालन अनिवार्य है। पिछले पांच वर्षों के दौरान, आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धति में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल (पौधे/पशु/खनिज/रासायनिक मूल की एकल औषधि) पर 60 गुणवत्ता मानक, आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी (एसयू) फॉर्मूलेशन के 03 गुणवत्ता मानक, एसयू औषधियों के 219 फॉर्मूलरी विनिर्देश संबंधित भेषजसंहिता और फॉर्मूलरी में प्रकाशित किए गए हैं।

(ग): आयुष मंत्रालय ने वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक औषधीय पादपों की खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्र प्रायोजित योजना की थी। एनएएम योजना के 'औषधीय पौधे' घटक के तहत, पूरे देश में अभिचिन्हित समूहों/क्षेत्रों में 140 प्राथमिक औषधीय पादपों की बाजार संचालित खेती को सहयोग प्रदान किया गया था। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, निम्नलिखित के लिए सहायता प्रदान की गई:

- (i) किसान की भूमि पर प्राथमिक औषधीय पौधों की खेती।
- (ii) गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री जुटाने और आपूर्ति के लिए पिछली कड़ियों के साथ नर्सरी की स्थापना।
- (iii) अगली कड़ी के साथ फसल कटाई के बाद का प्रबंधन।
- (iv) प्राथमिक प्रसंस्करण, विपणन अवसंरचना आदि।

अब तक, आयुष मंत्रालय ने केंद्रीय हिस्से के रूप में 14115.668 लाख रुपये की राशि जारी की है और वित्तीय वर्ष 2015-16 से एनएएम के औषधीय पादप के घटक के तहत 56,305 हेक्टेयर क्षेत्र, 220

नर्सरियां, 354 कटार्ड के बाद प्रबंधन इकाइयों आदि को सहयोग प्रदान किया गया है। वर्ष 2020-21 तक विवरण **संलग्नक-I** में दिया गया है।

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी), आयुष मंत्रालय वर्तमान में पूरे देश में "औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन के लिए केंद्रीय क्षेत्रीय योजना" कार्यान्वित कर रहा है, जिसके तहत औषधीय पादपों के संरक्षण के लिए संसाधन संवर्धन को सहयोग प्रदान करने का प्रावधान है और एनएमपीबी ने औषधीय पादपों/जड़ी-बूटियों के रोपण को क्रियान्वित किया है। राज्य वन विभागों के माध्यम से पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए आवंटित निधि का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण **संलग्नक-II** में दिया गया है।

केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच) के पास ऊटी, तमिलनाडु में होम्योपैथी औषधीय पादप अनुसंधान केंद्र (सीएमपीआरएच) है। यह संस्थान होम्योपैथी में इस्तेमाल होने वाले विदेशी और स्वदेशी पौधों के जर्मप्लाज्म की खेती, सर्वेक्षण, संग्रहण और रखरखाव में लगा हुआ है। सीसीआरएच के तहत तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के एमराल्ड में सीएमपीआरएच होम्योपैथी में इस्तेमाल होने वाले 104 पौधों की प्रजातियों (92 विदेशी और 12 स्वदेशी) के जर्मप्लाज्म की खेती और रखरखाव कर रहा है। सीएमपीआरएच, तमिलनाडु द्वारा किया गया व्यय **संलग्नक-III** में दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक "राष्ट्रीय आयुष मिशन" (एनएएम) योजना, आयुष मंत्रालय के औषधीय पादप घटक के अंतर्गत समर्थित गतिविधियों का विवरण

क्रम संख्या	समर्थित गतिविधियां	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	कुल
1.	औषधीय पादपों की खेती (क्षेत्र फल हेक्टेयर में)	8722	12109	10366	9958	6794	8356	56305
2.	नर्सरी की स्थापना (संख्या में)	32	39	38	38	50	23	220
3.	कटाई के बाद प्रबंधन (संख्या में)	62	48	66	52	99	27	354
4.	प्रसंस्करण इकाई (संख्या में)	1	2	3	1	16	2	25
5.	ग्रामीण/जिला संग्रहण केंद्र/ रिटेल आउटलेट (संख्या में)	0	11	9	17	2	3	42
6.	बीज जर्मप्लाज्म केंद्र (संख्या में)	0	3	5	0	1	1	10
7.	प्रदर्शन क्षेत्र (संख्या में)	0	2	2	2	6	3	15
8.	जारी की गई निधियां (लाख रुपये में)	2305.45 8	2818.81 4	3069.72 5	2448.86 4	2473.19 8	999.60 9	14115.66 8

जारी किए गए आंकड़े			
दिनांक 24.01.2025			
पिछले दो वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान औषधीय पौधों के संसाधन संवर्धन के लिए राज्य वन विभागों को जारी किए गए अनुदान सहायता के राज्य- वार और वर्ष- वार विवरण			
राज्य का नाम	वित्तीय वर्ष		
	(लाख रुपये में)		
	2022-23	2023-24	2024-25
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
आंध्र प्रदेश	—	—	—
असम	—	—	—
छत्तीसगढ़	—	—	—
गुजरात	243.45	—	579.59
हरियाणा	—	—	—
हिमाचल प्रदेश	—	17.89	13.48
जम्मू एवं कश्मीर	—	—	34.64
झारखंड	—	—	—
कर्नाटक	155.47	—	—
केरल	—	27.33	—
मध्यप्रदेश	4.39	—	—
महाराष्ट्र	—	—	—
मणिपुर	—	—	—
मिजोरम	200.90	26.13	20.55
नागालैंड	—	—	—
ओडिशा	—	—	—
पंजाब	—	—	—
राजस्थान	—	—	—
सिक्किम	504.58	—	—

तमिलनाडु	—	—	—
तेलंगाना	—	—	—
त्रिपुरा	—	—	—
उत्तराखंड	120.06	—	—
पश्चिम बंगाल	—	—	—
कुल	1228.85	71.35	648.26

संलग्नक-III

पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान होम्योपैथी औषधीय पादप अनुसंधान केंद्र (सीएमपीआरएच), ऊटी, तमिलनाडु द्वारा किया गया व्यय:

राज्य	केंद्र का नाम	व्यय (लाख रूपये में)		
		2021-22	2022-23	2023-24
तमिल नाडु	सीएमपीआरएच, ऊटी	64.45	60.08	74.13